ओ0 पी0 आर्य,
सचिव ।

अर्धशा0 प0 सं0 13/11/91टी0सी0-का-1/1992 ।

उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-1;

लखनऊ, दिनांक 08 अप्रैल, 1992

प्रिय महोदय,

निःसंवर्गीय पदों के सृजन तथा उनके कार्यकाल को आगे बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा निम्नांकित निर्णय लिये गये हैं :--

(1) वर्तमान में चल रहे निःसंवर्गीय पदों में कोई वृद्धि नहीं की जाय ।

(2) यदि पूर्व सृजित निःसंवर्गीय पद के कार्यकाल को दिनांक 29 फरवरी, 1992 के पश्चात आगे बढ़ाये जाने का प्रस्ताव हो तो औचित्य सहित मुख्य सचिव के माध्यम से ऐसे प्रस्ताव माननीय मुख्य मंत्री जी के आदेशार्थ प्रस्तुत किये जायें ।

(3) यदि किन्हीं निःसंवर्गीय पद के कार्यकाल को दिनांक 29 फरवरी, 1992 के आगे बढ़ाया जा चुका हो तो उसके भी औचित्य एवं एक वर्ष तक बनाये रखने के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जाय ।

2--मुझसे यह अनुरोध करने की अपेक्षा की गई है कि कृपया शासन के उपरोक्त निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

भवदीय;
ओ0 पी0 आर्य,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव,
(नाम से) उत्तर प्रदेश शासन ।

संख्या :13/11/91टी0सी0का-1/1992, तद्दिनांक ।

उपरोक्त की प्रतिलिपि सचिवालय के समस्त अनुभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

आज्ञा से,
जे0 डी0 पुरी,
संयुक्त सचिव ।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 22 सा0 नियुक्ति-25-6-97-(598)-1997-1000 (मैक0)